खंड १ संख्या ३४

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १ जुलाई, १९५२

Vol. I. No. 34

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Tuesday, the 1st July, 1952.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
रांची।
१९५३।

[मूल्य—६ आना।]
[*Price—Annas 6.*]

स्थगन प्रस्ताव

ADJOURNMENT MOTION

अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर का समय खत्म हो गया। एक काम रोको प्रस्ताव भी है। इस सम्बन्ध में मैं श्री रमेश झा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन दिन से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं रहे।

श्री रमेश झा—२८ अप्रैल, १९५२ से।

अध्यक्ष—इस काम रोको प्रस्ताव को ऐडमिट करने के पहले सरकार की तरफ से कुछ सुन लेना चाहता हूं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, २८ अप्रैल को पार्लियामेंटरी सेक्रेटेरीज का पद सीज कर गया और अब मई और जून बीत चुका और आज ११ जुलाई है। इतने दिनों की अवधि में माननीय सदस्य ने तो इस सवाल को नहीं उठाया। आज भी सवाल उठाया है वह अरजेन्ट पब्लिक इमपौर्टेंस का नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बजट पास हो गया, उसके बाद सप्लीमेंटरी बजट भी पास हो गया। अगर माननीय सदस्य को यह जरूरी मालूम होता तो इसको पहले लाये होते और इस पर बहस किये रहते। उन्होंने अपना मौका खो दिया। इसलिये हम समझते है कि यह ऐडजोर्नमेंट मोशन एलाउ नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष—इतना सुन लेने पर में इस ऐडजोर्नमेंट मोशन को पेश करने के लिए अनुमति देने में असमर्थ हूं।

ग़ैर-सरकारी संकल्प

NON-OFFICIAL RESOLUTION

बिहार राज्य में चावल के मिल (क्रमशः)

RICE MILLS IN THE STATE OF BIHAR : (*contd.*)

श्री जय नारायण झा 'विनीत'—यह संकल्प जनता के जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण मांग से संबंध रखता है। इस विषय से कोई सरकार इन्कार नहीं कर सकती है। सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि जनता को सबल और स्वस्थ बनावे। दूसरा कर्त्तव्य यह भी है कि जो लोग काम करने के लायक हैं उनको काम मिला करे। इन दोनों सिद्धान्तों से कोई सरकार इंकार नहीं कर सकती है। अब हमें देखना है कि मिलों के चावल से जनता पर क्या असर पड़ता है। राज्य की जनता को स्वस्थ और सबल बनाने के लिये सरकार के लिये आवश्यक है कि भोजन की वस्तुओं पर ध्यान दे। आंकड़े देखने से पता चलता है कि राज्य में सैकड़े ८० प्रतिशत लोग चावल पर, सैकड़े १० लोग गेहूं पर और सैकड़े १० लोग मकई पर निर्भर करते हैं। इसलिये हमारे प्रान्त का मुख्य भोजन चावल ही है। वह चावल अधिकतर मिलों से तैयार होता है और मिलों से तैयार होने वाले चावल में विटामिन 'ए' और 'बी' दोनों का नाश हो जाता है। (शोरगुल)।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति! माननीय सदस्य आपस में जोरों से बातचीत कर रहे हैं, जिससे अधिक हल्ला हो रहा है। इसका कारण यह है कि कुछ माननीय सदस्य अपने २ स्थान को छोड़ कर दूसरे सदस्यों से या मंत्रियों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पार्लियामेंटरी कंवेंशन या एटिकेट के अनुसार इसकी सख्त ममानियत है।

श्री जयनारायण झा विनीत—तो विटामिन 'ए' से शरीर में कान्ति और आंखों में रोशनी की वृद्धि होती है और विटामिन 'बी' से शरीर का विकाश होता है। लेकिन मिलों से तैयार होने वाले चावल में दोनों विटामिनों का अभाव हो जाता है। इसलिये हमें जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसे रोकना है। मिल के चावल से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे बेरी-बेरी, डायरिया,.......

अध्यक्ष—शान्ति,-शान्ति! मेरे आदेश देने पर भी बातचीत जारी है। में माननीय सदस्यों का ध्यान सभा-नियमावली की नियम-संख्या ५१ की ओर आकृष्ट करता हूं। यह है कि "दि स्पीकर शैल प्रिजर्व ऑर्डर"

यह दुःख की बात है कि सभा के अनुशासन का उल्लंघन होता है। इस प्रकार सभा के कार्य्य सम्पादन में बाधा उपस्थित होती है।

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—तो बेरी-बेरी, डायरिया, डिसेन्टरी, ड्राप्सी, क्षय वगैरह की अनेकों बिमारियां पैदा हो जाती हैं। मिलों के चावल के संबंध में एक रिपोट भी मिली है जिसमें है कि

"In larger areas of South India, where milled rice is the staple articles of diet, nearly all the pregnant females are in a state of a vitaminocis B. As a result, the incidence of premature birth is three times as great as it is in the north of India......and in consequence the infant mortality rate also is many times greater." (Book—"Problem of diet for four hundred million people of India"—By Professor Radha Kamal Mukherji.)

यह सम्मति वैज्ञानिकों की है कि मिल का चावल स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने लायक नहीं है। जिस प्रान्त में ८० प्रतिशत लोग चावल खाने वाले हैं वहां पर मिलों के चावल खाने पर उनकी दशा क्या होगी।

श्री हरिनाथ मिश्र—यहां मिलों से तैयार होने वाले चावलों का अनुपात प्रतिशत क्या होगा?

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—अधिकतर चावल मिलों के हैं।

मैं यह देख रहा हूं कि मिल का चावल खाने से क्या नतीजा होता है। जैसा कि मैंने बतलाया, विटामिन 'बी' की डेफिसिएन्सी की वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि प्रिमैच्योर डेथ्स भी होते हैं।

अध्यक्ष—बेरी-बेरी की बीमारी भी तो इसी से होती है?

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—जी हां, बेरी-बेरी, डायरिया, डिसेन्टरी, ड्रोप्स वगैरह, वगैरह बहुत सी बिमारियां मिल के चावल खाने से होती हैं। अब देखा जाये कि मिल के चावल का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। जांच से मालूम हुआ है कि फिश, मीट, एग ऐंड मिल्क का न्यूट्रिशन वैल्यू १० प्रतिशत, राइस का ८८ प्रतिशत, चीज और पल्स ५६ प्रतिशत और व्हीट का ४६ प्रतिशत है।

जब कि जनता का भोजन ८० प्रतिशत राइस हो जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू ८८ प्रतिशत है उसको केवल व्यापार के ख्याल से या पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के ख्याल से मिल में चावल तैयार कराया जाय तो यह गोया जनता की जान के साथ खेलवाड़ करना होगा। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस समस्या की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। जिस तरह से सरकार के और सब काम चल रहे हैं उस तरीके से नहीं वल्कि इसको खास महत्त्व देकर नये ढंग से विचार करना चाहिये और काम करना चाहिये।

बिहार प्रान्त में कितनी मिलें चावल की चल रही हैं इसका अपटूडेट आंकड़ा तो नहीं मिल सका लेकिन खोज करने से यह मालूम हुआ कि सन् १९४७ में १४३ मिलें बिहार में थीं। इतने छोटे से प्रान्त में इतनी मिलें चल रही हैं कि यह लोगों के लिये तकलीफदेह हो गयी हैं। क्योंकि जिस राज्य की यह हालत हो कि ८०-९० प्रतिशत लोगों में इतनी बेकारी बढ़ गयी हो कि छः २ महीने बेकार बैठे रहना पड़ता हो और वहां चावल तैयार करने जैसा होम इंडस्ट्रीज को खतम करके अगर मिलोंको इसलिये प्रोत्साहन दिया जाय कि इससे कुछ पूंजीपतियों की जेब में काफी पैसे आ जायें चाहे जनता बेकारी से तबाह हो या बेरोजगारी से भूखे मर जाये तो इन चीजों को आप क्या कहेंगे ? हमारी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति इतना कम है कि उससे खर्च नहीं चलता है तो ऐसी हालत में सरकार को इसकी तरफ कदम उठाना चाहिये कि लोगों की आय बढ़े और लोगों को कुछ काम मिले। लेकिन ऐसा नहीं करके सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ा रही है कि लोगों के हाथ में जो काम था उसे छीन ले, लोगों की आमदनी के जो जरिये हैं उन्हें बन्द कर दे जिससे लोग दरिद्र होते जायं, और कुछ खास लोगों के पौकेट भरते जायं। इस तरह की बातें होती जायं और उस पर हमें गौरव यह होता है कि हमारा राज्य ठीक से चल रहा है, एक चिन्ता की बात है।

अब मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि बिहार में सन् १९४७ में ७,१६,१४२ मन चावल मिल से तैयार हुए थे। इसका मानी यह है कि माध्यम वर्ग के लोगों में, जिनकी महिलायें खेतों में काम नहीं कर सकती थीं और उनके घर में चावल तैयार किया जाता था जिससे उन्हें कुछ आमदनी होती थी, बेरोजगारी फैल गयी। इसके अलावे दूसरे २ व्यापार भी जैसे सूत कातना, चर्खा चलाना, आटा पीसना, तेल पेरना, इत्यादि, इत्यादि ये सारी चीजें होम इंडस्ट्रीज के रूप में लोगों के हाथ से निकल गयीं। सोचने की बात है कि जनता के राज्य में ऐसी बातें हो रही हैं जिससे उनकी आमदनी के साधन खतम होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं जो किसी भी समझदार आदमी के दिमाग में नहीं आती कि जनता की सरकार इन सब चीजों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है।

देखा गया है कि गजेटेड हॉलीडेज और दूसरी-दूसरी छुट्टियां देने के बाद साल में कुल सात आठ महीने मिलों में काम होते हैं जिसमें ६,६०० मजदूर इंगेज होते हैं। इतने ही समय में अगर घर में काम कराया जाता तो लाखों आदमियों को आठ महीने के लिये रोजी मिल सकती थी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बेकारी बढती चली गयी है और सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे यह साबित हो कि जनता की बेकारी को दूर करने की फिक्र सरकार को है।

सरकार की तरफ से यहां के लोगों की बेकारी मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जिस तरह से सरकार का काम स्वराज सरकार के पहले चलता था उसी तरह से आज भी चल रहा है। सरकार के किसी काम में क्रान्तिकारी की भावना नहीं

हैं, रिवोल्यूशनरी या नया दृष्टिकोण नहीं है और इसलिए लोगों को कोई आशा नहीं है कि यहां के लोगों का भविष्य अच्छा होने वाला है। मिल के चलते किसानों में और बेकारी बढ़ती जा रही है। आज किसान ६ महीना बेकार बैठे रहते हैं और उनके लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोगों की बेकारी दूर करने की जिम्मेवारी सरकार पर है पर हमारी यह सरकार इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। केवल इसी बेकारी के मामले में नहीं, आम जनता का स्वास्थ्य अच्छा रखने की जिम्मेवारी भी नहीं लेती है और न उन्हें दीर्घायु बनाने की ही जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है।

अध्यक्ष—बीमारी रोकने की जिम्मेवारी तो उसी पर है।

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उन लोगों को काम मिले तो उन्हें बीमारी होगी ही नहीं, लेकिन आज तो हालत यह है कि रोज-रोज बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका प्रमाण आप पटना जेनरल अस्पताल में देखिये।

अध्यक्ष—आप क्या २ मिनट के अन्दर अपना भाषण खतम कर सकते हैं या लंच के बाद फिर बोलियेगा?

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—उम्मीद करते हैं कि इतने समय में हम खतम कर देंगे। घरेलू उद्योग धंधों के मसले में केन्द्रीय सरकार का कोई हाथ नहीं है। हर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि इस मामले में वह अपनी नीति निर्धारित करे। केन्द्रीय सरकार ने डेवेलॉपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की दिशा में एक कदम उठाया है और इस मसले पर विचार विनिमय करने के लिए हर स्टेट के मिनिस्टर को बुलाया भी है। लेकिन हमारी सरकार की कोई अभी तक डेफिनिट पॉलिसी नहीं है और न क्लीयर-कट प्रोग्राम ही है कि इंडस्ट्रीज को वह सेन्ट्रलाइज्ड करे या डिसेन्ट्रलाइज्ड करे। इस सरकार को अपने डिसिजन में फेथ नहीं है और न कोई क्लीयर-कट पॉलिसी ही है।

अध्यक्ष—आप यह बतलायें कि स्टेट लिस्ट में इसका कौन नम्बर है। इसके लिए आपको कुछ समय की जरूरत होगी, इसलिए लंच के बाद बोलियेगा।

(अवकाश)

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—आपने यह पूछा था कि स्टेट लिस्ट में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। अभी जो कंस्टिच्यूशन है उसके मुताबिक सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में किसी खास इंडस्ट्री को नहीं रखा है। इसके लिए मोटा मोटी एक प्रॉविजन है जिसके आधार पर बिहार सरकार स्वतंत्र है कि जितनी तरह की कॉटेज इंडस्ट्रीज को वह चलाना चाहे, चला सकती है। कंस्टिच्यूशन के पृष्ठ नं० ३५८ में है कि "इंडस्ट्रीज सबजेक्ट टू दि प्रॉविजनस ऑफ इन्ट्री ५२ ऑफ लिस्ट आई और इन्ट्री नं० ५२ में है कि

"Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

इसके अनुसार जिस इंडस्ट्रीज को सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेना चाहे, लॉ बना कर ले सकती है। लेकिन अभी तक सेन्ट्रल गवनमेंट ने इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया है। ऐसी हालत में स्टेट गवनमेंट बिलकुल स्वतंत्र है कि किसी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देकर उसे चला सकती है।

अध्यक्ष—माइनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कुछ किया है?

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—हम कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कह रहे हैं। १९३७-३८ में जब कांग्रेसी मंत्रीमंडल बना और गांधी जी जिन्दा थे तब उस समय हमलोग जबर्दस्त गांधीवादी थे और उस समय यहां एक प्रस्ताव पास हुआ था कि चावल की मिलों को बन्द किया जाय और दिहाती तौर पर चावल तैयार कराया जाय उसी चावल की खपत के लिए सरकार प्रोत्साहन भी दे। प्रस्ताव पास करने वाले भी हम ही लोग थे। जब कांग्रेस की सरकार ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और असेम्बली ने इसकी स्वीकृति पहले ही दे दी थी तो इस दिशा में काम होना चाहिये था, परन्तु इस दिशा में कुछ काम नहीं हुआ है। असेम्बली ने इस बात की मंजूरी दी थी कि मिल चावल तैयार करने का काम धीरे-धीरे बन्द कर दे और दूसरा कारबार करना शुरू करे। यह बात बारह साल पहले तय हो चुकी है और ७-८ साल से शासन हमारी सरकार के हाथ में है मगर फिर भी सरकर ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमने प्रस्ताव केवल इसीलिये पास किया था कि वह गांधी जी का कार्यक्रम था और हमको दिखाना था कि उनके कार्यक्रम को हम स्वीकार करते हैं या उस वक्त के नेतृत्व को स्वीकार कर हमने उस प्रस्ताव को पास किया था। इस दिशा में क्यों प्रगति नहीं हुई, इसका उत्तर सरकार को देना होगा। गांधी जी हमारे मार्ग दर्शक थे पर उनके कार्यक्रम को हमने हृदयंगम नहीं किया। यही कारण है कि आज फिर यह प्रस्ताव हमारे सामने आया है। आज यह सवाल है कि हमारी सरकार की आर्थिक नीति क्या है। सरकार को अपनी क्लीयर-कट पॉलिसी लोगों के सामने रखनी होगी।

कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टिच्यूट, गुलजारबाग अंग्रेजी हुकूमत के समय में खुली थी और आज भी उसी पुराने ढंग पर चल रही है। हमारी सरकार को इस दिशा में परिवर्त्तन करना होगा। बिहार में कपड़े की आठ मिलें खुलने की बात थी मगर सात-आठ वर्ष के शासन में हमारी सरकार ने एक भी मिल नहीं खोली है। जनता की जितनी भी आवश्यक सामग्रियां है, सब उसको अपने प्रयासों के फलस्वरूप ही मिलनी चाहिये नहीं तो वह सरकार का गुलाम बन जाती है। अगर आप सचमुच में प्रजातंत्र का विकास करना चाहते हैं तो जनता को आवश्यक सामग्री विकेन्द्रित उद्योग धंधों से इतनी ज्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए कि उस पर सरकारी व्यवस्था की गुलामी का प्रभाव न पड़े। इन सब बातों में जनता को स्वतंत्र बनाना चाहिए ताकि वह राज्य व्यवस्था में स्वतंत्र विचार से भाग ले सके, राजनैतिक मतदान में जनता में अदर कंसिडेरेशन्स का प्रभाव न आने पावे। ऐसा नहीं होने से जनता की सच्ची राजनीतिक चेतना मारी जाती है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह पूरे जोर के साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो आपके सामने है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। खास कर बिहार में चावल की खपत बहुत ज्यादा है।

बिहार सरकार के सामने यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसको खास कर सोचने का मौका मिला कि उसकी नीति क्या है। हमलोग जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार गरीब बेकारों को काम देना चाहती है या धनवानों के घर पैसा देना चाहती है। धान कूटना देहात के लोगों का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। बिहार में साल में ३-४ महीने लोग लगे रहते हैं। खास कर समाज में जो सबसे दबे हुए हैं उनका यह मुख्य धंधा है। उसमें भी खास कर स्त्रियों का, विशेष कर गरीब मजदूरिनों का ही, यह मोनोपोली है। मेरा ख्याल है उन स्त्रियों को जो बाहर काम नहीं कर सकती हैं, जो बाहर नौकरी में नहीं जा सकती हैं, जिनको दूसरा कोई रोजगार नहीं है ; जो सड़क पर जाकर मजदूरी का काम नहीं कर सकती है ; जो सबसे दबे हुए वर्ग की हैं ; उनकी इस पर मोनोपोली है ; और ऐसे लोगों को बेरोजगार करके, बेकार बना कर भूतपूर्व सरकार ने बहुत बड़ा पाप किया था। हमको दुख है कि यह सरकार भी, जो कांग्रेसी सरकार है, ऐसे पाप को चलाये जा रही है। यह अत्यन्त दुखकर है। मेरा ख्याल है हमारी महिला सदस्यायें इस सदन की राइस-मिल्स के बरखिलाफ हैं और उनको इस विषय में काफी दिलचस्पी लेना चाहिए। जो अंक हमारे मित्र पं० जयनारायण जी ने आपके सामने रखा है वह ठीक नहीं है। ठीक अंक इस तरह है—

बिहार में कुल १४७ रेजिस्टर्ड राइस मिल्स हैं। उनके एलावे बहुत सी मिलें ऐसी हैं जो अनरेजिस्टर्ड हैं। फ्लावर मिल्स की तरह ये अनरेजिस्टर्ड मिल्स भी गांव-गांव में काफी संख्या में फैल गई हैं। रेजिस्टर्ड मिल्स २ लाख ४० हजार टन या ६५ लाख मन चावल तैयार करती हैं। यह कंट्रोल के जमाने के पहले के अंक हैं। इसके एलावे अनरेजिस्टर्ड मिल्स के अंक हमारे सामने नहीं हैं। उनकी ठीक-ठीक संख्या हमारे सामने नहीं है। एक मन चावल ३ औरतें तैयार करती हैं और इस हिसाब से ६५ लाख मन चावल तैयार करने में २ करोड़ आदमियों का एक दिन का रोजगार मारा जाता है ; अर्थात् राइस मिल्स २ करोड़ आदमियों को दो शाम भूखा रखती हैं। इस तरह १ लाख १० हजार आदमी ६ महीने धान कूटने में लगाये जा सकते हैं। सबसे आसान और प्रतिष्ठाप्रद तथा स्वास्थ्यप्रद धान कूटना है। यह इतना आसान काम है कि मध्यम वर्ग की स्त्रियां भी, हमलोगों के घर की औरतें भी तीन महीने, अगहन, पूस और माघ धान कूटने में लगी रहती हैं। धान कूटना कोई कड़ा काम नहीं है। ८-१० वर्ष की बच्चियां भी यह काम करती हैं। चर्खा कातने, कपड़ा बुनने या सिलाई करने के ऐसा यह कोई कला का काम नहीं है। जैसा रसोई का काम है वैसा ही यह भी है। धान कूटने के लिए बहुत बड़े मूल्यवान औजार की भी जरूरत नहीं है। एक ओखली और मसल हर मजदूरिन के घर में रहते हैं। ढेंकी में भी ५-७ रुपये से बेशी नहीं लगता है। यह आसान काम स्वास्थ्यप्रद भी है और इसमें मजदूरी भी मिलती है। इसके एलावे खुद्दी और बुकनी भी मिल जाती हैं। राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज में दो महीने कम से कम कोई भूखा नहीं रहता। यही नहीं हिन्दुस्तान में शायद ही कोई गरीब से गरीब, भिखमंगा से भिखमंगा अगहन महीने में भूखा रहता हो। खेतों में धान चुन कर भी खाने को मिल जाता है। गीता में इसी से अगहन महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगहन में कोई भी हिन्दुस्तान का आदमी भूखा नहीं रहता।

ऐसे रोजगार को जिस सरकार ने छीन लिया, हमारा ख्याल है, उसने हिन्दुस्तान और अपने प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। इसलिए बिहार सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, और हम आप से कहना चाहते हैं कि जहां तक हमने इस सदन के सदस्यों की राय ली है, ८० प्रतिशत राइस मिल्स के खिलाफ हैं।

अब आप देखिए कि मिल का चावल लोगों के स्वास्थ्य को नाश करता है। अमृत ऐसे चावल को जहर बना देता है। इतना सड़ा गला चावल मिलता है कि इसको आसानी

से खाया भी नहीं जाता। जब तक मांड़ गर्म रहेगा बैल भी उसको नहीं पीयेगा। चावल भी अगर गर्म खाइयेगा तो भात महकता रहेगा और खाना मुशकिल हो जायगा। एक अच्छे खाद्य को बिगाड़ देना मिल वालों का काम है। मैं कोई डाक्टर नहीं हूं, लेकिन एक लेमैन के दृष्टि से आप से कहता हूं कि मिल्ड राइस की शक्ति १४ प्रतिशत घट जाती है। १०० मन चावल का मानी हुआ कि ८६ मन ही खाने का फायदा मिलेगा। १४ प्रतिशत पोषक तथ्य इसकी घट जाती है। लाली को अगर निकाल दीजिए, तो मिल में पोलिश करने से निकल जाता है, तो उसको कीड़ा भी नहीं खाता।

मिल का चावल इतना खराब होता है कि यहां तक कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं ऐसा देखने में आता है। इसलिये यह जरूरी है कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिये और जहां तक जल्द हो उसको रोके। आप को सिर्फ स्टेट्स-को ही नहीं मेन्टेन करना चाहिये आखिर हमलोग किस लिये यहां आये हैं। हमलोगों को गरीबों के तरफ अपना ध्यान ले जाना चाहिये और उनके बेकारी की समस्या को जहां तक जल्द हो सके और जिस तरह से उनकी बेकारी दूर हो उपाय करना चाहिये। ट्रांसपोर्ट करने में भी खर्च बढ़ जाता है क्योंकि चावल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है और उसका काफी खर्च करना पड़ता है। यदि आप मिल बन्द करने का उपाय नहीं करते हैं तो जो लोहार ७ ओखली और मुसल बनाता है वह भी भूल जायगा और यह चीज हिन्दुस्तान से एकदम चला जायगा। आपको मालूम है कि हमलोग किस तरह चर्खा चलाना, सूत काटना भूल गये हैं। मैं सरकार से आपके जरिये अर्ज करूंगा कि सरकार इस तरफ अपना कदम उठावें और बिहार का नाम उज्जवल करे। बिहार गांधी जी का देश है। ऐसा करने से इसका असर दूसरे प्रान्त पर पड़ेगा। मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

श्री जगलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस प्रस्ताव पर काफी

प्रकाश डाल चुके हैं। मैं उनकी बातों को दुहरा कर इस सदन के समय को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ दो एक बातें उनकी कही हुई बातों में जोड़ देना चाहता हूं। उन लोगों ने बहुत सी बीमारियों का नाम लिया है जो मिल द्वारा कुटे गये चावल के खाने से होते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चावल न कुटने से जो बीमारियां हमारे मातायों और बहिनों को होती है उनमें से एक ट्यूबरकुलोसिस भी है क्योंकि उन को शारीरिक परिश्रम करने के लिये कोई काम नहीं मिलता अतः वे इस रोग के शिकार होती हैं। वे बाहर जाकर फूट-बौल और हौकी तो नहीं खेल सकती हैं, घर के अन्दर रह कर वे अपना स्वास्थ्य ओखली और मुसल के द्वारा ठीक रख सकती है। लेकिन आज ऐसा न होने की वजह से उनका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है और वे तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हो रही हैं। नौट सेन्ट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज के कारण भी बहुत सी खराबियां होतीं है। बहुत से मनुष्यों को एक जगह रहना पड़ता है जिस कारण उनकी तन्दुरुस्ती बिगड़ती है फिर उसमें अधिक खाद्य वस्तु तैयार होने के कारण खपत में देर होती है और वे सड़ती गलती रहतीं हैं। ऐसी वस्तुओं का असर जनता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा होता है। यदि हम मिल को बन्द कर देते हैं तो नतीजा यह होगा कि चावल कूटने का काम देहातों में फैल जायगा और लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि सब लोग अलग-अलग रहेंगे और चीजें भी खपत होने लायक ही तैयार होंगी।

मैं एक बात का जिक्र कर देना वाजिब समझता हूं। पुर्णिया जिला में एक कस्बा नाम का गांव है। वहां की स्त्रियों ने एक दरखास्त दी थी कि मिल के हो जाने के वजह से उनका रोजगार एकदम बन्द हो गया है और वे भूखों मर रही है। मेरे पुर्णिया

के जो दोस्त हैं मेरे बात की पुष्टी करेंगे क्योंकि वे कसबे की अधिक जानकारी रखते होंगे। यह कहा जा चुका है कि मिल के होने के वजह से अनएमप्लाएड हो जाते हैं दूसरे सदस्यों ने अन्य फीगर्स भी कोट किये हैं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि थोड़ा भी चावल मिल के द्वारा कूटा जाय तो वह भी स्वास्थ के लिये हानिकारक हैं और वह उसी हद तक हमें अनएमप्लाएड बनाता है। इस समय हमें जरूरत ह कि सभी लोग प्रतिदिन पूरे आठ घंटे तक काम पर एमप्लाएड हो जाय और इस सम्वन्ध में हमें विचार करना पड़ेगा कि जितने प्रकार के मिल हैं सब को वन्द कर दिया जाय या नहीं। लेकिन यह प्रस्ताव सिर्फ राइस मिल्स के बारे में है। इसलिए मैं अपने सुझाव को इसी विषय पर सीमित रखता हूं।

तो जिस चावल के मिल के कारण बढ़िया से बढ़िया पदार्थ भी दूषित हो जाता है, रोगकारी खतम हो जाय तथा बड़ी २ बीमारियां फैलने लगी तो उस चीज को हमारे यहां एक दिन भी रहना और हम लोगों को उसे बरदाश्त करना महा पाप है। इसलिये मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच जागृति पैदा हो, कि वे मिल के चावल का खाना नापसन्द करने लगें। मगर मुश्किल यह है कि अगर वे नापसन्द करते हैं तो खायेंगे क्या? क्योंकि चावल तो उन्हें खाना ही है और मिल वाले मानेंगे नहीं। वे रुपये के लालच के कारण मिल को बढ़ाते जायेंगे। इसलिये सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उन पर नियंत्रण लगा दें तथा उन्हें बन्द कर दें। शायद किसी तरफ से यह कहा जाय कि अगर आप मिलों को बन्द कर देंगे तो उनको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें नुकशानी उठानी पड़ेगी। मगर जो समझदार आदमी हैं वे ऐसा नहीं कह सकते। मैं तो कह देना चाहता हूं कि वे मिल जो बहुत दिनों से चलाये आ रहे हैं। वे तो कई गुणा पैदा कर ही चुके होंगे। जब उन मिलों से चावल का काम हटा दिया जायगा तो उनके इंजिन्स किसी दूसरे काम में लगाये जा सकते हैं और उनके पार्ट्स भी। नहीं तो उनके पार्ट्स को तोड़ कर दूसरा कोई यन्त्र बनाया जा सकता है। तब उनको नुकशानी कहां से होगी। हम कहते हैं कि जो इसके जरिये बहुत बड़े २ नफा उठाये है तो क्या वे इस थोड़ी नुकशानी को बर्दाशत नहीं कर सकेंगे। सरकार को वाजिब नहीं है कि थोड़े से आदमी को नफा देने के लिये सारी जनता को मार डाले। डाक्टरों ने भी अपना विचार मिल के चावल के पक्ष में नहीं दिया है, बल्कि हाथ कुटा चावल खाने ही पर जोर दिया है। और अगर हम डाक्टरों की बात नहीं मानेंगे तो आत्मघात करेंगे। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि जो चावल स्वास्थ्यकर है उसकी तरफ ध्यान दें और मिल के चावल को बन्द कर दे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर करेगी और जिससे इस स्टेट की जनता का कल्याण होगा वह काम करेगी।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—माननीय अध्यक्ष महोदय, चावल के मिल पर जो रिजोल्यूशन

आया ह उसके कई पहलू पर कई सदस्यों ने अपना विचार रखा है। मैं एक नया पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बिनीत जी, चौधरी जी तथा हृदय नारायण चौधरी जी के दिल में एक शक पैदा हो गया है कि सूबे में कांग्रेस सरकार के होते हुए भी, जो सरकार जनता के प्रतिनिधि होने का दावा रखती है, क्यों डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री पर अमल नहीं करती है? उनके इस शक को दूर करने के लिए हम एक मिसाल देना चाहते हैं। हाथी जब बेल खाता है तो उसको ठीक उसी रूप में गुहयद्वार से बाहर निकाल देता है। उसके सब्सटेंस को ले लेता है और उसको उसी रूप में फेंक देता है। वैसी ही हालत आज के कांग्रेस की है। २५-३० वर्ष पहले के कांग्रेस का जो आदर्श था, जो एसेन्स था और जिसका साथ आपने और हमने दिया था, आज वह एसेन्स नहीं है, सिर्फ बेल जैसा एक्सटर्नल फॉर्म और ठाट रह गया है। (हंसी) इसलिए यदि इस

कांग्रेस गवर्नमेंट से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री न हो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आज की कांग्रेस सचमुच जनता का प्रतिनिधि नहीं है; आज तो वह मुष्टिमेय कैपिटलिस्ट्स यानी पूंजीपतियों के हाथ की पुतली है। (हंसी) इसलिये आप यकीन रखें कि डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री नहीं होने को है। चौधरी जी का इशारा है कि कांग्रेस दल के ८० सदस्यों की दस्तखत इस रिजोल्यूशन पर होने पर भी यदि कांग्रेस सरकार उसको स्वीकार न करे तो एक ही उपाय है कि इस कैविनेट को अपसारित कर एक नया कैविनेट फौर्म करना चाहिए। डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर करके देश की गरीब जनता को मदद पहुंचा कर कांग्रेस प्रेस्टिज को फिर से रिइन्सटेट करना चाहिए। बिनीत जी और दूसरे २ सदस्यों ने भी पूछा है कि इंडस्ट्री के सम्बन्ध में सरकार की क्या पॉलिसी है। कांग्रेस और अपोजीशन के लोगों ने यह प्रश्न पूछा है मगर सरकार जवाब क्या दे। उनके पास कोई पौलिसी ही नहीं है। अपनी पौलिसी स्थिर करने के लिये उनके पास न विजन है और न इमैजिनेशन वे तो सिर्फ वैसीलेट करते हैं। क्यों वैसीलेट करते हैं यह भी आप खूब जानते हैं। उनका मोरल बैकबोन टूट गया है। (हंसी)

आज जो समस्या है उस समस्या पर कांग्रेस गवर्नमेंट स्पष्ट रूप में बोले कि इंडस्ट्रीज के बारे में क्या नीति है। इस सम्बन्ध में जब तक सरकार को एक क्लियर-कट पौलिसी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा तब तक यह सब रेजोल्यूशन्स सिर्फ कागज पर ही रह जायेगा। डिमोक्रेसी के बारे में गवर्नमेंट का कहना है कि वह इस देश में डिमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ढांचे पर काम करना चाहती है। फिर मेरा कहना है कि डिमोक्रेसी के साथ सेन्ट्रलाइजेशन का सम्बन्ध नहीं है। डिमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइज्ड एकोनोमी ही एक मात्र पौलिसी है जो जनता और देश को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन आज कांग्रेस गवर्नमेंट को जो ध्येय है, जिस रास्ते पर वह चल रही है उसमें हमलोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की पौलिसी एकदम नहीं है। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो सेन्ट्रलाइज्ड हो जाती है उसका एक ही ध्येय होता है जो उसको डिक्टेटरशीप और टोटैलिटेरिएनिज्म की तरफ ले जाता है। इस पर प्रतिबन्ध डालने का एक ही उपाय है और वह मास कंसियसनेस है। मास कंसियसनेस जब हो जाता है तब जनता इसको टोटैलिटेरियन की तरफ और डिक्टेटरशीप की तरफ नहीं जाने देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है।

<u>अध्यक्ष</u>—क्या माननीय सदस्य डिमोक्रेसी के खिलाफ हैं?

<u>श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी</u>—नहीं, हम तो चाहते हैं डिमोक्रेसी और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि डेमोक्रैसी को सक्सेसफुल बनाने के लिये डिसेन्ट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज के लिये भी सरकार की एक पौलिसी हो, और वह डिसेन्ट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज को अपना ध्येय बनावे। इससे जनता एसेन्सियल नेसेसिटीज जैसे कपड़ा, अन्न इत्यादि के लिए सरकार पर डिपेन्डेन्ट नहीं रहेंगी और उनमें आत्म विश्वास आयेगा। ऐसा होने से जनता में वह शक्ति आवेगी जिससे वह गवर्नमेंट पर दबाव डाल सकेगी। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन हो। डिसेन्ट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज होने से जनता अपनी शक्ति रिएलाइज करेगी और तब गवर्नमेंट को इतनी आजादी नहीं रहेगी जो आज है। जनता भी इतनी हेल्पलेस नहीं रहेगी और सरकार उससे पूरा फायदा नहीं उठा सकेगी। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो। वह नहीं चाहते हैं कि जो हजारों लाखों आदमी बेकार बैठे हुए हैं उनको एमप्लाएमेंट हो, क्योंकि ऐसा होने से लोगों में विश्वास हो जायेगा और वे गवर्नमेंट पर डिपेन्डेन्ट नहीं रहेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि जनता में आत्म विश्वास हो। वह नहीं चाहती है कि जनता अपनी राय दे सके और उसके डिक्टेटरशिप के रास्ते में बाधक हो। इसलिए आज सवाल एक है कि......

अध्यक्ष—क्या आपके कहने का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव का नतीजा आपको मालूम है?

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—आज २५ वर्षों से उनके साथ काम किया है तो नतीजा क्यों नहीं मालूम होगा। हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि आज तक सरकार ने जो कुछ किया है, गांधी जी की दुहाई देते हुए किया है। उनकी दुहाई का खजाना जो बैंक में था वह अब खत्म हो गया। आज नया खजाना बनाना है और वह खजाना बन सकता है डिसेन्ट्रालाइजेशन आँफ पावर से, पंचायत के हाथ में पावर देने से। जब तक यह नहीं कीजियेगा तब तक· · · · · · · · · ·

अध्यक्ष—मिल को बन्द कर दीजिये तब हो जायगी।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—मिल होने की वजह से हजारों-हजार लोग बेकार हो गये हैं। उनको एमप्लॉएमेंट मिल जायगा। वे अपनी शक्ति को समझेंगे। गवर्नमेंट आज डिक्टेटर-शीप की तरफ जो जा रही है उस पर प्रतिबंध करना चाहिये यही मेरा कहना है आज अगर कांग्रेस जनता की सेवा करना चाहती है तो सचमुच उसको इस चीज को काम में लाना चाहिये। सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरफ जाने से देश को नुकशान होगा फायदा नहीं होगा।

श्री जगत नारायण लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस प्रस्ताव को देखता हूं तो एक आनन्द की बात इस प्रस्ताव के संबंध में देखने में आया कि इस हाउस के प्रायः सभी दल के लोगों ने हस्ताक्षर करके भेजा है। परन्तु मुझे इस बात को सुन कर खेद हुआ कि मेरे पूर्व वक्ता ने इस प्रस्ताव में राजनीति को जरूरत से ज्यादा समावेश कर दी है। इस प्रस्ताव में जो सिद्धान्त है, मेरा ख्याल है, उससे सभी दलों के लोग सहमत हैं। राजनैतिक भेद और मतभेद के कारण तीखी बातें निकल जाती हैं। उसका समय दूसरा होना चाहिये, इस पवित्र प्रस्ताव जिस पर सभी का विचार एक है बाद-विवाद नहीं लाया जाय तो अच्छा है।

मैं देखता हूं कि प्रस्ताव का छः अंश है। पहला है अब से चावल के नये मिल बिहार में न खुलने पावे। दूसरा है वर्त्तमान चावल मिलों में से प्रत्येक जितना चावल तैयार करता है उससे अधिक तैयार न कर सके और उन पर ऐसी शर्त्त लगाई जायें जिससे उनमें से हरएक अपने माल की तैयारी में धीरे-धीरे कमी करता जाय और चार वर्षों के अन्दर चावल तैयार करने के काम को छोड़ दे।

तीसरा है, चावल मिलों के अलावा जो दूसरे मिल हैं वे चावल तैयार करने या चावल छांटने का काम एकदम नहीं करने पावे। चौथा चावल मिलों के धंधे पर कर लगाया जाय। पांचवां सभी सरकारी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये जसे जेलों, अस्पतालों और सरकारी गोदामों के लिये बिल्कुल हाथ से तैयार किये चावल की ही खरीद हो। छठा सरकारी गोदामों की धान की कुटाई हाथ से करायी जाय। उसे धान के रूप में ही वितरण किया जाय। तो इस प्रस्ताव के छः अंश ह। जहां तक प्रस्ताव का सिद्धान्त है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। गान्धीयन प्लैन, एकोनामिक प्लनिंग कमिटी, नेशनल प्लैनिंग कमिटी और अभी जो प्लैनिंग कमिशन है इन सबों की नीति यही ह कि छोटे

उद्योग-धंधों को जहां तक हो सके प्रोत्साहन दिया जाय। उसके बारे में व्यक्तिगत नीति सरकार की नहीं है। जहां तक कांग्रेस सरकार की नीति है वह यह है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम बन्द नहीं करेंगे और स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज को जहां तक हो सकेगा प्रोत्साहन देंगे। इस नीति के साथ २ यह भी सोचना सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि इन बड़े २ इंडस्ट्रीज के चलते रहने के कारण स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज बन्द न हो जायं। अभी मैं कौंस्टिच्युशन देख रहा था। उसमें स्टेट का लिस्ट था और यूनियन और कौनकरेन्ट लिस्ट भी था। तो मैं सोच रहा था कि अगर बिहार में मिलों को बन्द कर दिया जाय तो बगल के वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो मिल हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। वहां चावल के मिल अधिक खुल जायंगे। तो इसका नतीजा होगा कि यहां की इंडस्ट्रीज भी बन्द हो गई और हमारा मंशा भी पूरा नहीं होगा। इसलिये इस काम को करने के लिये यूनियन सरकार को नीति निर्धारित करनी होगी, लेजिसलेशन करना होगा और सोचना होगा कि वर्त्तमान परिस्थिति में यह कहां तक कारगर हो सकेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज है जिसका मैं समर्थन करूंगा कि चावल के नये मिल कायम न हों। मेरा जी चाहता है समर्थन करने का लेकिन इसमें कठिनाई है। दूसरी चीज यह है कि अगर हम चावल तैयार करना बन्द कर दें तो दूसरे प्रदेशों में काफी मिल खुल जायेंगे इससे हमारी दिक्कत और बढ़ जायगी। तीसरी चीज यह है कि चावल तैयार करने वाले मिलों के अलावा जो दूसरे मिल हैं वे चावल तैयार न करने पावें ऐसा करने में भी हमें लाचारी है। चौथी चीज इस पर कर लगाने की है। तो अभी जितना कर चावल मिलों पर लगाया गया है वही इतना अधिक है कि मिल बन्द हो रहे हैं। इसलिये इसका समर्थन भी हम नहीं कर सकते। पांचवीं चीज जो सरकारी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये बिलकुल हाथ से तैयार किये हुए चावल की खरीद हो इसको तो मैं तब मान सकता हूं जब कि प्रर्याप्त मात्रा में चावल मिल सके। मैं तो जानता हूं कि देहातों में भी कूटने-पीसने का काम बन्द सा हो गया है। हमारी देवियां भी कूटने-पीसने से लाचार हैं। (हंसी) अगर कोई देवी उठ कर दो-चार लाख देवियों की संख्या दें तो मैं मान सकता हूं। छठी चीज से मैं सहमत हूं कि सरकारी गोदामों की धान की कुटाई हाथ से कराई जाय। इससे मैं सहमत हूं। मैं इतनी चीजों का विरोध करता हुआ इसका समर्थन करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं व्याज-स्तुति करता हूं। व्याज स्तुति भी एक तरह की निन्दा ही है। मैंने समर्थन के बदले विरोध किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमलोग भारत सरकार के यहां प्रस्ताव द्वारा सिफारिश करें कि वह एक लेजिस्लेशन करे कि चावल मिलों का खुलना अब से बन्द कर दिया जाय। जब तक यह नहीं होता तब तक मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि बिहार में चावल मिल बन्द कर दिये जायं। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमलोग बापू का नाम लेना बन्द कर दें। जब कि उनके कहने के मुताबिक नहीं चलते हैं। उनका कहना था कि हाथ से कूटा चावल खावो। हम तो ऐसा नहीं कर पाते लेकिन हमारे चौधरी जी इसका पालन करते हैं और चाहते हैं कि इस को सब लोग पालन करें।

श्री सरयू प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यक्ति किसी शास्त्र की

दुहाई देता है और आंख बन्द कर उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है तो उसे कहा जाता है कि वह "पुरानी लकीर का फकीर" है। उसी तरह नई बातों के अनुसार चलने वाले और उसकी दुहाई देने वाले को हम कहेंगे कि वह नयी लकीर का फकीर है। अगर आज बाजार में आप चल निकलें तो अक्सर लोगों को यह कहते सुनेंगे कि मिल और कारखाने के जमाने में पुरानी चक्की और ढेंकी की बात क्यों होती है। बात तो ठीक है लेकिन साथ ही हम इतना कहेंगे कि

किसी विषय पर हमारा एप्रोच साईन्टिफिक होना चाहिये और हमारा रूख वैज्ञानिक होना चाहिये। मेरा दावा है कि जिन बातों का उल्लेख प्रस्ताव में किया गया है उसे अगर वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाये तो वह ठीक उतरेगा। साथ-साथ मेरा यह भी दावा है कि इस संकल्प के स्वीकार करने में कोई भी वैधानिक कठिनाई बाधक नहीं होती है। इस सिलसिले में कुछ भाइयों ने कौन्स्टिच्युशन का जिक्र किया है। आपने विधान के १९ वीं धारा को देखा होगा जहां यह अख्तियार दिया गया है कि हर आदमी इस विषय में स्वतंत्र है कि वह जो व्यापार करना चाहे या जो पेशा अख्तियार करना चाहे, कर सकता है। आप किसी के कामों में बाधा नहीं डाल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी उल्लिखित है कि समाज के हित में अगर कोई काम बाधक हो तो उस काम में सरकार को अख्तियार है कि वह हस्तक्षेप करे। हम उस धारा को पढ़ने की जरूरत नहीं समझते। उसे शुरू से आखीर तक पढ़ने से यह मालूम हो जायगा कि यह धारा लोगों के रास्ते में रूकवट नहीं डालती है।

दूसरी बात यह है कि यह विषय हमारे हाथ में लेने के लायक है या नहीं इस-पर हमें गौर करना है। श्री जगतनारायण लाल ने कहा है कि प्रस्ताव कुछ अंश में विधान के दायरे का अतिक्रमण करता है। शिड्यूल ७ में यह स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री (उद्योग) का विषय राज्य का विषय है। साथ ही साथ यह भी वहां लिखा हुआ है कि स्टेट के विषय में अगर यूनियन गवर्नमेन्ट रूकावट डालना चाहे तो उसका उसे अधिकार है, किन्तु उसके लिये पार्लियामेन्ट का विधान होना चाहिये।

अध्यक्ष—उसमें केवल रीजनेबुल रिस्ट्रिकशन्स की बात है।

श्री सरयू प्रसाद—आर्टिकिल १९ के क्लौज (६) में यह लिखा हुआ है कि—

"Nothing in sub clause (*g*) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing in the intrest of the General Public, reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said sub-clause..........etc.,"

प्रस्ताव में जहां क्लोज डाउन करने की बात आयी है उसको देखा जाये तो यह मालूम होगा कि उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि हम प्रस्ताव करते हैं कि वह धन्धा एकबारगी बन्द कर दिया जाय। हम तो यह कहते हैं कि हरसाल धीरे-धीरे कमी करते जांय।

अध्यक्ष—नयी मिल के बारे में आप कहते हैं कि नहीं खुले तो यह रिजनेबुल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि यह परमानेन्ट रेस्ट्रिक्शन और एक्सटिंक्शन है। The State cannot pass a law extinguishing the right of the citizens.

श्री जगलाल चौधरी—मुझे कुछ कहने का मौका दिया जाय। मैं इसका क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। रिजनेबुल रेस्ट्रिक्शन अगर यह समझा जाये कि मिल नहीं रहना चाहिये तो वह रेस्ट्रिक्शन हुआ। रिजनेबुल होने के लिये मिल को बन्द करना पड़े और बिना बन्द किये हुये रिजनेबुल नहीं समझा जाये तो मिल को

बन्द कर देना होगा। अब रही बात कि इन दि इंटेरेस्ट आफ जेनरल पब्लिक, तो जेनेरल पब्लिक के इंटेरेस्ट में भी यह जरुरी है कि इसे बन्द कर दिया जाये। इसलिये इसको बन्द कर देना ही रिजनेबुल रेस्ट्रिक्शन हुआ।

श्री सरयू प्रसाद—मैं यह कह रहा था कि "इंडस्ट्री" स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट को इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार है। लेकिन स्टेट उन बातों में हिन्डेरेन्स नहीं कर सकता है जिनके संबंध में इंडियन यूनियन ने पालियामेन्ट से कानून बनाकर अपने हाथ में अधिकार ले लिया है। मगर ऐसा कोई कानून हमारे रास्ते में नहीं है जो बाधा डाल सके। इस संबंध में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि श्री विनीत जी का संशोधन है कि सरकार मिलों पर इतना कर लगा दे कि वह कर के बोझ से बन्द हो जायें। विनीत जी से मेरा नम्र निवेदन है कि यह काम विधान के खिलाफ होगा क्योंकि इंडस्ट्री पर कोई कर लगाना एक्साइज में शुमार किया जाता है और एक्साइज ड्यूटी लगाने के अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। कंस्टिच्युशन के सेवेन्थ शिड्यूल के यूनियन लिस्ट इन्ट्री नं० ८४ में स्पष्ट रुप से लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री पर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी वह यूनियन गवर्नमेन्ट की होगी। इसलिये प्रस्ताव में जो कर लगाने का जिक्र है वह इस ढंग से है—उसकी शब्दावली ऐसे ढंग की है जिसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं रहे। ऐसी शब्दावली जानबूझ कर रखी गयी है, क्योंकि विधान का २७६ (१) धारा इस प्रकार है:

"Notwithstanding anything in article 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality, district board, local board, or other Local authority therein in respect of professions, trades, callings or employments shall be in valid on the ground that it relates to a tax on income."

अगर कोई टैक्स इस तरह का लगेगा तो वह आर्टिकिल २७६ के अनुकूल ही होना चाहिए। जो भी टैक्स लगेगा वह कोई बड़ा टैक्स नहीं हो सकता है क्योंकि इस धारा के दूसरे हिस्से में है कि:

"The total amount payable in respect of any one person to the State or to any one municipality, district board, local board or other local authority in the State by way of taxes on professions, trades, callings and employements shall not exceed two hundred and fifty rupees per annum."

इससे ज्यादा से ज्यादा २५० रु० ही टैक्स लगा सकते हैं और इस से मिल बन्द हो जायेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। इसलिये प्रस्ताव की शब्दावली जो है उसमें कर लगाने की छूट है और कानून हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालता है।

हमारे बहुत से भाइयों ने कहा है कि मिल का चावल ढेंकी के चावल से ज्यादा बिकता है। मेरा उनसे मतभेद है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि बिहार में सैकड़े ९० प्रतिशत चावल हाथ का छांटा होता है। इसलिये मिल के चावल रोकने का काम बिहार सरकार के लिये आसान है। इस काम में हमारी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और केन्द्रीय सरकार या दूसरी स्टेट सरकार का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जब-जब आंदोलन हुआ है तब-तब बिहार दूसरे प्रांतों से आगे रहा है तो देश के निर्माण के काम में यह क्यों पीछे

रहेगा। दूसरे प्रांतों में चावल की खपत को देखा जाय तो विहार में मिल के चावल की बहुत कम खपत है। आसाम में सैकड़े ८५, बंगाल में ७५, विहार में ६०, हैदराबाद में ७०, उड़ीसा में ८०, ट्रावनकोर में ४५ और मद्रास में ३० प्रतिशत लोग हाथ का कूटा हुआ चावल व्यवहार करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में मिल के चावल का वहुत कम खपत है। तव इस मामले में हम दूसरे प्रांतों का अनुकरण करने के लिये क्यों बैठे रहें। हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मिल और हाथ से धान का भूसा अलग करने के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है और उससे यही मालूम पड़ता है कि हाथ से और मिल से धान का भूसा अलग करने में मजदूरी में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। यह बात लड़ाई के पहले की है और हम समझते हैं कि लड़ाई के बाद भी इसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं हुआ होगा। भूसा निकालने में कोई अन्तर नहीं पड़ता है मगर चावल का कण निकालने की मजदूरी में अन्तर पड़ जाता है। मिल में जो मशीन और आदमी हैं, मशीन में कुछ नया औजार जोड़ देने से चावल का कण अलग होने लगता है। मिल वाले ८ आना मन के दर से यह काम कराते हैं परन्तु मजदूरों से इसे कराने में १५ आना से १ रु० ५ आना तक खर्च पड़ता है। तो यह सिद्ध है कि अगर हम यह मिल वालों से यह कहें कि चूंकि लोगों को खाने के लिये बढ़िया चावल नहीं मिलता है इसलिये तुम वढ़िया चावल केवल भूसी निकाला हुआ दो तो यह संभव नहीं है। उन्हें इसमें मुनाफा नहीं होगा। उनकी रोजी चली जायगी। इसलिये जब तक मिल है पौलिश्ड राइस खाना ही होगा। यह पौलिश्ड राइस हमारे स्वास्थ्य के लिये खराव है। आप जानते हैं कि कोनूर में खाद्यान्न का एक रिसर्च इंस्टिट्यूट है। उसकी रिपोर्ट है कि पौलिश्ड मिल राइस हमारे स्वास्थ्य के लिये नुकसान पहुंचाने वाला है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से एक बुलेटिन निकली है। उस बुलेटिन में इंटरनेशनल ऑर्गनिजेशन की एक रिपोर्ट है। मैं सारी रिपोर्ट आप के सामने नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं उसका कंक्लुडिंग पोर्शन पढ़ देता हूँ। यह १९३७ की रिपोर्ट है। यह लीग आफ नेशन्स के इंटरनेशनल कौंफेरेन्स आफ ईस्टर्न कांट्रीज की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट अनुसंधान के उपर अविलम्बित है। यह इस प्रकार है:

"This conference strongly recommends that Governments should make a thorough investigation on the nutritional, commercial, economic and psychol^gical aspects of the problem - attention being given to the possibility of checking the spread of mechanical rice mills in rural areas. With a view to conserve the health, people should continue the use of home made rice."

मेरे भाई कहते हैं कि ये सारी बातें सर्वोदय वालों की हैं। वे कुछ इसी ढंग से सोचा करते हैं। उनकी बात अभी रहने दीजिये मैं यह कहता हूँ कि यह मेरी बात नहीं है यह अनुसंधान की बात है। मैं यह कहूंगा कि जो प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश हुआ है उसको स्वीकार किया जाय। बाहर से जो मिल का चावल आता है उसके बारे में मैं यह कहता हूँ कि उसका भी नियंत्रण हो सकता है।

अध्यक्ष—शांति-शांति! जबतक सेल्फ-सफिसिएन्सी इन राइस नहीं है तबतक के लिये क्या आपका यह सुझाव ठीक है?

श्री सरयू प्रसाद—जी हां, सेल्फ-सफिसिएन्सी के बारे में मैं अभी कहना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि १९४० में विहार सरकार ने सैम्पुल सर्वे का काम शुरू किया। विहार प्रोविंसिएल कांग्रेस कमिटी की तरफ से मैं उस समय कमिटी के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा इस काम में योगदान देने के लिये नियुक्त हुआ था। हमारे माननीय सदस्यों को भी इसकी वाकफियत है कि रीपोर्ट में यह वताया गया था। लेकिन यह कमी ऐसी नहीं है जो बहुत आसानी के साथ दूर नहीं हो सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। हमारे देश में बहुत लोग बेकार बैठे रहते हैं। अगर चावल कूटने का काम उनको दिया जाय तो बेकारी भी दूर होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा।

अध्यक्ष—श्री जगलाल चौधरी ने एक संशोधन भेजा है। चूंकि संशोधन बहुत महत्व का है इसलिये मैं इसे पेश करने के लिए मान लेना चाहता हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि वह संशोधन को उपस्थित करें।

श्री जगलाल चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान के आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूँ—

मूल प्रस्ताव के सब-क्लांज (६) के बाद एक नया सब-क्लाज (७) जोड़ा जाय यथा—

(७) यूनियन सरकार से अनुरोध किया जाय कि उपर्युक्त सभी कारंवाई सारे देश में लागू की जाय।

*श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—जनाब स्पीकर साहब, मुझको इस बात का एहसास है कि हमारे कुछ अजीज दोस्त मुझसे नाखुश होंगे लेकिन फिर भी मैं जरूरी समझता हूँ कि जो तजवीज इस वक्त हाउस में पेश हुई है उसकी मुखालफत करूं। कबल इसके कि मैं क्यों मुखालफत कर रहा हूँ इसके बारे में अपनी दलील पेश करूं। मैं एक बात को कह देना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग दोस्त, श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी, मुझको नेहायत अफसोस है, एक खास बीमारी मे मुवतिला हैं। हर चीज में जो इस हाउस में पेश होती है उनकी सियासत, पौलिटिक्स, सेन्ट्रलाइज्ड पावर और डिसेन्ट्रलाइज्ड पावर नजर आती है और इनको वह हर चीज में लाते हैं। इसमें उनका खास मकसद है जिसको वह लेकर यहां आए हैं। उसको हुजूर खूब जानते हैं।

श्री जगलाल चौधरी—औन ए प्वाएन्ट आफ आर्डर, सर, वह इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं या किसी एक मेम्बर का?

अध्यक्ष—श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी ने सेन्ट्रलाइज्ड और डिसेन्ट्राइज्ड पावर की बात वताई क्योंकि उन्होंने उनको इस संकल्प से संगत बताया और मैंने भी उनको संगत माना। इसलिये सेन्ट्रलाइजेशन और डिसेन्ट्रलाइजेशन के वारे में उतना ही तक जितना संगत है अगर कोई दूसरे माननीय सदस्य नोलें तो वह भी संगत होगा।

---

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

श्री मुद्रिका सिंह—लेकिन किस मकसद से आये हैं—यह कहना तो मोटिव इंप्यूट करना है।

अध्यक्ष—वह तो कह सकते हैं कि वह यहां इस लिए आए हैं कि मिनिस्ट्री चेंज हो।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हर सबजेक्ट पर उनके दिमाग में यही चीज घूमती रहती है कि कौंग्रेस गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया जाय। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वह इस बीमारी को दूर करें और जो सवाल यहां पैदा हो उसको उसी नुकते नजर से सोचें। सवाल यहां यह है कि चावल जो इस सूबे के लोग खाते हैं वह ढेकी का कूटा हुआ हो या मिल का। लेकिन हमारे दोस्त को चूंकि श्री हृदय नारायण चौधरी ने इसकी जिक्र की, यह लाठी मिल गई और इससे कौंग्रेस और कौंग्रेस गवर्नमेन्ट पर चलाना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि इस सूबे की जो मौजूदा इकोनौमिक कंडिशन है उसको सामने रखते हुए यह तजबीज सूबे के लिये नुकसानदेह है। और प्रैक्टिकल प्वाएन्ट आफ व्यू से भी यह किसी तरह मुमकिन नहीं है।

तन्दुरुस्ती के मुत्तलिक जो आर्गूमेन्ट हमारे दोस्तों ने पेश की है वह भी कंविंसिंग नहीं हुई है। हमारे दोस्त के झंडे में व्हील लगा हुआ है वह मिल की निशानी है। उसपर कुदाली नहीं है। सोसलिस्ट पार्टी के झंडे पर व्हील और हथौड़ा है;

श्री मुन्द्रिका सिंह—हथौड़ा नहीं हल है।

श्री त्रिवेणी कुमार—व्हील एंड प्लाउ।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—व्हील है या नहीं?

श्री मुन्द्रिका सिंह—चश्मा लगा लीजिये।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—हुजूर हम यह कह रहे थे ....।

एक विरोधी दल के सदस्य—आप कुछ नहीं कह रहे थे।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—यानी सुनना तक आप गवारा नहीं कर सकते। यह इस क़दर आपको तिखा लग रहा है, इतना ज्यादा मत घबराइये।

तो मैं हुजूर अर्ज कर रहा था कि मौजूदा इकोनौमिक हालत जो है हमारे मुल्क की उसमें हमारा सूबा एक डेफिसिट सूबा है और मौजूदा हालत में लाखों-लाख आदमियों को खाने को नहीं मिलता। इस वक्त जो इकोनौमिक डिप्रेसन हो गया है उससे मजदूरों को इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि नाज खाने के लिये खरीदें। इस वक्त ऐसी कोई तजवीज लाना जिससे नाज की कीमत बढ़ जाय हमारे लिये नुकसान्देह है।

अध्यक्ष—नाज की कीमत कैसे बढ़ जायेगी?

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—इस तरह हुजूर कि मिल में जितनी चीजें तैयार होतीं हैं उनको हेंड लेबर से तैयार करने में ज्यादा मजदूरी लगती है, ज्यादा खर्च

पड़ता है। मिल में जो चावल तैयार होगा, उसपर जो लागत लगेगी उससे ज्यादा लागत उसीको ढेकी से तैयार करने में लगेगी।

अध्यक्ष—यह जरूरी नहीं है क्योंकि मिल को धान ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता है, और उसका भी खर्च है।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—सवाल यह है कि जो हालत हमारे सूबे की है—हर इलाके में धान नहीं होता, और चावल या धान यहां से वहां और वहां से यहां लाया जाता है।

आप जैसा जानते हैं ढेकी का चावल गीरां पड़ता है। आज हमारे देश के लोगों की जैसी बुरी आर्थिक दशा है उसमें यह उम्मीद करना कि गरीब तबके के लोग गीरां चावल खरीद सकेंगे यह नामुमकिन बात है। दूसरी बात यह है कि दो करोड़ मन चावल अमेरिका से यहां आता है। क्या आपका मतलब है कि अमेरिका में भी ढेकी का इन्तजाम किया जाय? (इंटेरप्शन्स)

अध्यक्ष —ऐसे इंटेरेपशन्स करने से कोई लाभ नहीं और यह एक अच्छी आदत भी नहीं। आपको चाहिये कि माननीय सदस्य के भाषण को आप ध्यान पूर्वक सुनें और उसका नोट रखें और जब आप को समय मिले तब आप उनकी बातों का स्मैशिंग रिप्लाई दें।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—यह भी कहा गया है कि ९० प्रतिशत यहां ढेकी का चावल तैयार होता है। तब तो इस प्रस्ताव की और भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ १० प्रतिशत चावल मिलों में तैयार होता है। यह भी कहा जाता है कि मिल के चावल से तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि मद्रास में ८० प्रतिशत मिल का चावल खाया जाता है और सिर्फ २० प्रतिशत ढेकी का चावल खाया जाता है। और आपको मालूम है कि जहां तक दिमाग की बात है हमारे मद्रासी भाई इस मुल्क में किसी से कम नहीं है और शारीरिक गढ़न में भी वे बहुतों से अच्छे हैं। मैं तो कहूंगा कि दुनिया के किसी हिस्से में ढेकी का चावल अब नहीं इस्तेमाल होता है। यह सवाल भी उठाया गया है कि ढेंकी की प्रथा उठ जाने से हमारी औरतें बेकार हो जायेंगी और उन्हें तरह-तरह की बीमारियां होंगी। अब इस जमाने में जब स्त्रियां मर्दों के साथ कन्धे में कन्धा मिलाकर काम करने को तैयार हैं और इस हाउस में भी स्त्रियां आई हैं क्या अब आप उम्मीद करते हैं कि वे घरों में बैठकर आपके लिए ढेंकी और चक्की चलावेंगी। (हंसी) यह नामुमकिन बात है। यहां जो सदस्या बैठी हुई हैं वे भी इसका विरोध कर रही हैं।

हमने यह देखा है कि जो लोग ढेंकी के चावल के ऊपर बड़ा जोर देते हैं और वेही इसे खाते हैं, वे ज्यादातर बहुत दुबले-पतले होते हैं, जैसे रामचरण बाबू, बैजनाथ बाबू, लक्ष्मी बाबू और मिल के चावल खाने वाले हमारे रामलखन बाबू को देखिये और रामनारायण चौधरी जी को देखिये, वे कैसे मोटे-ताजे हैं।

मैं यह मानता हूँ कि कौटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की की जाय। लेकिन आज की जो हालत है, आज गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की जो मिक्स्ड इकोनौमी की पौलिसी है उसको मद्दे नजर रखते हुए हम समझते हैं कि इस प्रस्ताव पर काम नहीं किया जा सकता है। आज मिलके कपड़े सस्ते हैं मिल की सूत से जो हैंडलूम के कपड़े बनते हैं वे

सस्ते हैं नतीजा यह है कि खादी का कपड़ा नहीं बिकता है क्योंकि वह बहुत गिरां पड़ता है। प्रोपैगंडा करने के लिए आप जो भी बोलें मगर जो हम कहते हैं वह सही है।

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की जो पौलिसी है उसको सामने रखते हुए यह चावल का रिजोल्यूशन को मानना स्टेट के लिये नुकसान्देह है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इंगलेंड और अमेरका से कैपिटल इनवाइट करके मिल्स बसा रही है। ऐसी हालत में इसको हम कैसे मान सकते हैं?

श्री जगलाल चौधरी—औन ए प्वाएन्ट आफ इन्फोर्मेशन, सर, नूर साहब ने कहा है कि देवियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, मगर हम देखते हैं कि श्रीमती मनोरमा सिंह, श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती प्रभावती गुप्ता, श्रीमती सरोज दास, श्रीमती सरस्वती चौधरी के नाम में भी इसी तरह का एक-एक रिजोल्युशन है।

(ठहाका)

अध्यक्ष—(कुछ हल्ला होने पर) मालूम होता है कि सभा में आप शांति रखना नहीं चाहते हैं।

*श्रीमती राजेश्वरी सरोज दास—औन ए प्वाएन्ट आफ आर्डर, सर, मेरा कहना यह है कि नूर साहब मेहरबानी कर औरतों के लिए ऐसी बात न कहें। जैसे असेम्बली के वे सदस्य हैं और एक लाख जनता के नुमाइन्दें हैं वैसे हम भी हैं। इसलिये उनका यह कहना कि औरतों का चूल्हा-चक्कीं चलाना काम है, असंगत है। वैसे तो औरत भी कह सकती है कि आपका काम हल चलाना है। मगर इस तरह की बात करना डिग्निटी के खिलाफ है। आप ऐसी बात न करें और इसे वियड्रा कर लें। हमलोग जानते हैं कि आपके सिद्धान्त से मेरा सिद्धान्त मिलता नहीं है। आप कहते हैं कि मिल में छंटा हुआ चावल फायदेमन्द है, मगर फायदा क्या है हमलोग खूब जानते हैं। आप का जो कहना है वह बिलकुल बेकार है यह सभी लोग जानते हैं (हंसी)। आपका जो कहना है कहें मगर औरतों की तरफ से कुछ न कहें।

अध्यक्ष—मैं इस प्वाएन्ट आफ आर्डर को मंजूर करता हूँ (हंसी)।

किसी भी माननीय। सदस्या का यह कहने का अधिकार है कि औरतों की तरफ से किसी माननीय सदस्य को कहने का अधिकार नहीं है। जब नूर साहब को औरतों की तरफ से कहने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो वे न बोलें। क्योंकि अभी इनका कंट्रैडीक्ट किया गया है। (हंसी)

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है, मगर अपोजिशन के लोगों को हंसी ही हंसी है।......

सभा सोमवार, तिथि, १४ जुलाई, १९५२ को ११ बजे दिन तक स्थगित हुई।

*सदस्या ने भाषण संशोधित नहीं किया।

बि०स०मु० (एल० ए०) २९२—७९५—मोनो-२-९-१९५३—ध० नाथ